सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 10.03.2024

मात्र 12 घण्टे में इटावा पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर (गैंगस्टर अभियुक्त) को किया गया गिरफ्तार
कब्जे से चोरी किया गये LED टीवी, 06 मोबाइल, आधार कार्ड एवं 6200/- रूपये किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना भरथना पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.03.2024 को वादी अशोक बाबू पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम कुँअरा थाना भरथना जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर तहरीरी सूचना दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा उनके घर में घुसकर पर्स में रखे 16,000/- रूपये व तीन मोबाइल तथा गाँव के ही श्यामवीर पुत्र राधेश्याम के घर से 01 LED टीवी चोरी कर लिया गया।
सूचना पर तत्काल **थाना भरथना पर मु0अ0सं0 58/2024 धारा 380 भादवि** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 10.03.2024 को थाना भरथना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **मु0अ0सं0 58/2024 से सम्बन्धित अभियुक्त मोहन पुत्र राकेश को सेगुर नदी पुल के पास से समय करीब 15.05 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछ:-

पकड़े गये अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करते हुये तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 LED टीबी, 06 मोबाइल, 01 आधार कार्ड एवं 6200/- रूपये बरामद किये गये जिनके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मैंने अशोक बाबू के घर से 16,000/- रूपये ,03 मोबाइल एवं श्यामवीर के घर से LED टीबी को चोरी किया था जिनमें से 6200/- रूपये बचे हैं तथा शेष रूपयों को मैंने खर्च कर दिया है तथा अन्य 03 मोबाइल के सम्बन्ध में बताया कि यह मोबाइल मैंने कस्बा भरथना तथा इटावा शहर से चोरी किये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मोहन पुत्र राकेश कुमार शंखवार निवासी ग्राम कुँअरा थाना भरथना जनपद इटावा उम्र 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 58/2024 धारा 380/411 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा

बरामदगी:-

1. 01 LED टीबी (चोरी किया गया)
2. 06 मोबाइल (चोरी किये गये)
3. 01 आधार कार्ड (चोरी किया गया)
4. 6200/- रूपये

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त मोहन पुत्र राकेश कुमार

1. मु0अ0सं0 260/2015 धारा 380 भादवि0 थाना भरथना जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 79/19 धारा 60 आवकारी अधिनियम थाना भरथना जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 244/2020 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना भरथना जनपद इटावा।
4. मु0अ0सं0 279/2020 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना भरथना जनपद इटावा।
5. मु0अ0सं0 327/2020 धारा 380/411 भादवि0 थाना भरथना जनपद इटावा।
6. मु0अ0सं0 332/2020 धारा 398/401 भादवि0 थाना भरथना जनपद इटावा।
7. मु0अ0सं0 334/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।
8. मु0अ0सं0 459/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।
9. मु0अ0सं0 58/2024 धारा 380/411 भादवि0 थाना भरथना जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह प्रभारी थाना भरथना, उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह, का0 मान सिंह, का0 सोनवीर सिंह, का0 कामेन्द्र सिंह।